

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 537] No. 537] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 27, 2017/आ<sub>"kk< +</sub> 6, 1939 NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 27, 2017/ASHADHA 6, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2017

### सं. 8/2017-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 647(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 10 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर विहित करती है कि ऐसा कोई पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पचहत्तर लाख रुपए से अधिक नहीं है, उसके द्वारा संदेय केंद्रीय कर के बदले में, निम्नलिखित की दर पर संगणित रकम का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा,—

- (i) किसी विनिर्माता के मामले में राज्य में आवर्त का एक प्रतिशत ;
- (ii) उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने में लगे हुए व्यक्तियों के मामलें में राज्य में आवर्त का ढाई प्रतिशत : और
- (iii) अन्य प्रदायकर्ताओं के मामले में राज्य में आवर्त का आधा प्रतिशत :

परंतु पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त निम्नलिखित किन्हीं राज्यों में, उक्त अधिनियम की धारा 25 के अधीन पात्र रजिस्ट्रीकृत, व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत के मामले में पचास लाख रुपए होगा, अर्थात्:—

- (i) अरुणाचल प्रदेश,
- (ii) असम,
- (iii) मणिपुर,

3951 GI/2017 (1)

- (iv) मेघालय,
- (v) मिजोरम,
- (vi) नागालैंड,
- (vii) सिक्किम,
- (viii) त्रिपुरा,
- (ix) हिमाचल प्रदेश:

परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन प्रशमन उद्ग्रहण के लिए विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे माल का विनिर्माता है, जिसका वर्णन नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है:—

## सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय	वर्णन
(1)	(2)	(3)
1.	2105 00 00	आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे उसमें कोका मिला है या नहीं
2.	2106 90 20	पान मसाला
3.	24	सभी माल, अर्थात् तम्बाकू और विनिर्मित तम्बाकू अनुकल्प

## स्पष्टीकरण –

- (1) इस सारणी में, ''टैरिफ मद'', ''उपशीर्ष'', ''शीर्ष'' और ''अध्याय'' से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमश: टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।
- (2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

# MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2017

#### No. 8/2017-Central Tax

**G.S.R.** 647(E).—In exercise of the powers conferred under the proviso to sub-section (1) of section 10 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby prescribes that an eligible

registered person, whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed seventy five lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the central tax payable by him, an amount calculated at the rate of,—

- (i) one per cent. of the turnover in State in case of a manufacturer,
- (ii) two and a half per cent. of the turnover in State in case of persons engaged in making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II of the said Act, and
- (iii) half per cent. of the turnover in State in case of other suppliers:

Provided that the aggregate turnover in the preceding financial year shall be fifty lakh rupees in the case of an eligible registered person, registered under section 25 of the said Act, in any following States, namely:—

- (i) Arunachal Pradesh,
- (ii) Assam,
- (iii) Manipur,
- (iv) Meghalaya,
- (v) Mizoram,
- (vi) Nagaland,
- (vii) Sikkim,
- (viii) Tripura,
- (ix) Himachal Pradesh:

Provided further that the registered person shall not be eligible to opt for composition levy under subsection (1) of section 10 of the said Act if such person is a manufacturer of the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table:-

**TABLE** 

S. No.	Tariff item, sub- heading, heading or Chapter	Description
(1)	(2)	(3)
1.	2105 00 00	Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa.
2.	2106 90 20	Pan masala
3.	24	All goods, i.e. Tobacco and manufactured tobacco substitutes

#### Explanation.—

- (1) In this Table, "tariff item", "sub-heading", "heading" and "chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).
- (2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

[F. No. 354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.